प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 05.07.2024

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कस्बा पुखरायां में युवक द्वारा अवैध तमंचा लहराये जाने वाले वायरल वीडियो पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये कस्बा पुखरायां में युवक द्वारा अवैध तमंचा लहराये जाने का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था । उक्त वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना स्तर पर टीम गठित की गयी । थाना भोगनीपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से **वायरल वीडियो में अवैध तमंचा लहराने वाले अभियुक्त गुड्डू सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम चौकी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात** को **01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर** के साथ दिनांक 04.07.2024 को **चौकी चकचालपुर रोड पर स्थित लईया फैक्ट्री से पहले पुलिया के पास थाना क्षेत्र भोगनीपुर** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0-209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

पूछताछ- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं लोगों के बीच अपनी धाक बनाने के लिये अपने पास ये तमंचा रखता हूँ। मैं रंगबाजी दिखाने के लिये अपना तमंचा साथ लेकर ही चलता हूँ। मेरा एक वीडियो जिसमें मैं तमंचा लिये था वायरल हो गया जिस कारण मुझे पुलिस द्वारा चौकी चकचालपुर रोड पर स्थित लईया फैक्ट्री से पहले पुलिया के पास थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. गुड्डू सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम चौकी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर कानपुर देहात।

बरामदगी -

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अंजन कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी पुखरायां
3. का0 1076 भानू प्रताप
4. का0 901 दीपक दीक्षित
5. का0 470 भीमसेन
6. का0 981 मो0 आसिम
7. आरक्षी चालक लालेन्द्र चाहर